

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :-

~~श्री नराम पुत्र केमराम जात्रि जा 2~~
~~निवासी निम्बली (दूधवा)~~

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

~~कुम्भाराम, कलाराम कौराह~~



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती


- उपस्थिति :-
1. श्री ~~श्री नराम~~ स्वयं वादी।
 2. श्री ~~कुम्भाराम~~ प्रतिवादीगण



निर्णय

दिनांक :- 11-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरी न ~~गुण दूधवा मलीनाथ के द्वारा सं. 11, गुण निम्बली~~ रकबा ~~के द्वारा सं. 6 व गुण दूधवा के द्वारा सं. 17~~ वीघा, सरहद मौजा ~~तहसील पचपदरा में स्थित है जिस पर वादी का कब्जा~~ काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ~~इन्द्राज~~ होने से राजस्व रिकॉर्ड में ~~इन्द्राज~~ दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या ~~210829791398~~ ~~जब माहवा~~ आधार कार्ड संख्या ~~YGDMFDL~~ मतदाता परिचय पत्र संख्या एसएसबी ~~के द्वारा~~ राशन कार्ड संख्या ~~काठिके प्रजुनराम~~ ~~नाथ~~ दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान  लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का  करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज ~~इन्द्राज~~ के स्थान पर ~~श्री नराम~~ सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।



(नरेश सोनी)
उपस्थित अधिकारी
बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकवाली जबाबदावा पेश कर
वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का
बचपन नाम इजरायल के स्थान पर किरुनराज
दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पंचपदरा
तहसील पंचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया
जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया
कि खेत खसरा नं ग्राम दुधवा-मलीनाम के खसरा नं. 11, निम्बली के खसरा नं. 06
तथा ग्राम दुधवा के खसरा नं. 17
..... बोधा, सरहद मौजा तहसील पंचपदरा वादी का नाम बचपन में
लाड-प्यार का नाम इजरायल दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में
प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम
पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार पंचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन
स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम इजरायल दर्ज किया गया है
वादी का सही नाम किरुनराज है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने
में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार पंचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर ग्राम दुधवा मलीनाम
के खसरा नं. 11, निम्बली के खसरा नं. 06 तथा दुधवा के
खसरा नं. 17
..... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम इजरायल पुत्र खेमाराज
के स्थान पर किरुनराज पुत्र खेमाराज खातेदार घोषित किया
जाता है। तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व
रेकॉर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।
निर्णय आज दिनांक 11-10-2024 को कोर्ट केम्प कोर्ट दुधवा में मजमें
आम में सुनाया गया।



(नरेश सोनी)